प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (दाण्डिक) क्रमांक 7985 सन् 2011

याचिकाकर्ता: बी.के. लाला

- बनाम -

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश की घोषणा हेतु दिनांक -2 फरवरी, 2012 को सूचिबद्ध किया गया

हस्ताक्षर/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (दाण्डिक) क्रमांक 7985 **सन्** 2011

(दिनांक 24-1-2012 को आदेश हेतु सुरक्षित)

याचिकाकर्ता: (जेल में): **बी.के. लाला, पिता श्री विलायतीराम अग्रवाल, उम्र लगभग** 54 **वर्ष, निवासी मुख्य बाजार, थाना किरंदुल, जिला दंतेवाड़ा, दक्षिण बस्तर (छ.ग.)**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा पुलिस थाना कुआंवाकोंडा, जिला दंतेवाड़ा दक्षिण बस्तर (छ.ग.)

{भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 सहपठित अनुच्छेद 227 के अंतर्गत रिट याचिका}

उपस्थित: श्री राहुल त्यागी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री सुशील दुबे, राज्य/उत्तरवादी के लिए सरकारी अधिवक्ता।

एकल पीठ: माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश

आदेश

(दिनांक 2-2-2012)

1. **इस रिट याचिका के द्वारा, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद** 226/227 **के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, याचिकाकर्ता ने दिनांक** 12-12-2011 **को दंतेवाड़ा के सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत आवेदन क्रमांक** 109/2011 **में पारित आदेश की वैधता एवं औचित्यता को चुनौती दी है, जिसमें दिनांक** 9-12-2011 **को दंतेवाड़ा के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड मामले में पारित आदेश की पुष्टि की गई है। उक्त आदेश द्वारा अवैध गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम**, 1967 **(संक्षेप में** '1967 **का अधिनियम') की धारा** 43**डी के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता**, 1973 **(संक्षेप में 'संहिता') की धारा** 167 (2) **के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल करने की सीमा अवधि को** 180 **दिनों तक विस्तारित कर दिया गया है।**

2. दोनों अक्षेपित आदेशों के अनुसार, अन्य आवेदनों एवं दस्तावेजों की प्रतियों के अनुसार, वर्तमान याचिकाकर्ता को दिनांक 9-9-2011 को पुलिस थाना कुआकोंडा में दर्ज अपराध क्रमांक 26/2011 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121, 124ए, 120बी; 1967 के अधिनियम की धारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39(1), 40 तथा छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 8(2) (3) के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित है। याचिकाकर्ता को संहिता की धारा 167 के अंतर्गत रिमांड हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दिनांक 9-12-2011 को पुनः अभियुक्त/याचिकाकर्ता को दिनांक 12-12-2011 तक रिमांड पर भेजा गया। रिमांड के आदेश के पश्चात्, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), किरंदुल ने 1967 के अधिनियम की धारा 43डी के अंतर्गत निरोध की अवधि विस्तारित करने तथा चार्जशीट दाखिल करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर विचार करने के उपरांत, दंतेवाड़ा के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अवधि को 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिनों तक विस्तारित कर दिया। दिनांक 10-12-2011 को याचिकाकर्ता की संहिता की धारा 167 (2) के अंतर्गत रिहाई के लिए आवेदन दायर किया गया, इस आधार पर कि जांच एजेंसी ने संहिता की धारा 167 (2) के अनुसार आवश्यक 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की है। पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात्, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उक्त आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि 90 दिनों की अवधि पहले ही 180 दिनों तक विस्तारित कर दी गई है। याचिकाकर्ता ने दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के सत्र न्यायाधीश के समक्ष संहिता की धारा 167 (2) के साथ पढ़ी जाने वाली 1967 के अधिनियम की धारा 43डी तथा संहिता की धारा 399 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया तथा संहिता की धारा 167 (2) के अनुसार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक/याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने तथा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 9-12-2011 को पारित अवधि विस्तार के आदेश को अभिखंडित करने की प्रार्थना की|

3. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, सत्र न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 1967 के अधिनियम की धारा 43डी के अंतर्गत अवधि विस्तारित करने में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कोई अवैधता नहीं की गई है, अतः याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहाई का हक नहीं है, और याचिकाकर्ता की ओर से संहिता की धारा 399 के अंतर्गत दायर आवेदन भी खारिज कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है, दोनों अक्षेपित आदेशों का अवलोकन किया है, आवेदनों की प्रतियां, दिनांक 9-12-2011 को 1967 के अधिनियम की धारा 43डी के अंतर्गत निरोध की अवधि विस्तार के लिए दायर आवेदन की प्रति, अन्य सह-अभियुक्त लिंगाराम कोडोपी, डी.वी.सी.एस. वर्मा एवं सोधी सोनी से संबंधित 1967 के अधिनियम की धारा 43डी के अंतर्गत निरोध की अवधि विस्तार के आवेदन की प्रति, उपरोक्त तीन सह-अभियुक्त व्यक्तियों के निरोध की अवधि विस्तार हेतु लोक अभियोजक की अभिलेख दिनांक 19-12-2011, दंतेवाड़ा के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 19-12-2011 एवं

26-12-2011 को पारित आदेश, तथा राज्य/उत्तरवादी की ओर से दायर जवाब का भी अवलोकन किया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 1967 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अभियुक्त के रिमांड एवं निरोध के मामले में, संहिता की धारा 167 के प्रावधान 1967 के अधिनियम की धारा 43डी के अनुसार संशोधित रूप में लागू होते हैं। संहिता की धारा 167 (2) तथा 1967 के अधिनियम की धारा 43डी के अनुसार, पुलिस रिमांड की अवधि 30 दिनों से अधिक नहीं होगी तथा अभियुक्त के कुल रिमांड/निरोध की अवधि 90 दिनों से अधिक नहीं होगी, किंतु यदि जांच 90 दिनों की अवधि के भीतर पूर्ण नहीं हो पाती है, तो लोक अभियोजक की रिपोर्ट में जांच की प्रगति तथा अभियुक्त के निरोध के लिए विशिष्ट कारणों का उल्लेख होने पर न्यायालय उक्त 90 दिनों की अवधि को 180 दिनों तक विस्तारित कर सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि 1967 के अधिनियम की धारा 43डी के प्रावधान नशीले पदार्थ एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'एनडीपीएस अधिनियम') की धारा 36-ए की उपधारा (4) के प्रावधानों के साथ परिमान हैं; महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (महाराष्ट्र अधिनियम 30 सन् 1999, दिनांक 24-4-1999) की धारा 21; आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 49 (2); तथा

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1987 (संक्षेप में 'टीएडीए') की धारा 20 (4) के खंड (ख) एवं (ख ख) (जिसे 2002 के पीओटीए द्वारा अभिखंडित कर दिया गया था) के प्रावधानों के समान हैं। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि संहिता की धारा 167 (2) के अंतर्गत निरोध की अवधि विस्तार से संबंधित प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय ने हितेन्द्र विष्णु ठाकुर एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य[1] एवं अन्य मामले में विचार किया है, जिसमें टीएडीए के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि संहिता की धारा 167 (2) के अंतर्गत निरोध की अवधि के आगे विस्तार के लिए, लोक अभियोजक की रिपोर्ट के आधार पर तथा टीएडीए की धारा 20 (4) के खंड (ख ख) के परंतुक के प्रकाश में, यद्यपि स्पष्ट रूप से नोटिस जारी करने का प्रावधान नहीं है, तथापि अभियुक्त को नोटिस जारी किया जाना चाहिए ताकि अभियुक्त को विस्तार का विरोध करने का अवसर मिल सके तथा उसके पास उपलब्ध सभी वैध एवं कानूनी आधारों पर विरोध करने का मौका प्राप्त हो। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी माना है कि ऐसे विस्तार की मांग के समय लोक अभियोजक को जांच एजेंसी के अनुरोध पर स्वतंत्र रूप से अपना मन लगाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी तथा अभियुक्त को नोटिस जारी करने एवं पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् ही न्यायालय निरोध की अवधि विस्तारित कर सकता है। ऐसी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] 1995 आपराधिक विधि पत्रिका 517

परिस्थितियों में लोक अभियोजक को अपना मन लगाना आवश्यक है तथा जांच एजेंसी की रिपोर्ट को डाकघर की तरह अग्रेषित नहीं करना चाहिए।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे **संजय कुमार केडिया उर्फ संजय केडिया बनाम इंटेलिजेंस ऑफिसर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एवं अन्य**[2] मामले का भी अवलम्बन लिया है, जिसमें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36-ए(4) के प्रश्न पर विचार करते हुए (जो टीएडीए की धारा 20(4) के खंड (ख) एवं (ख ख) के साथ परिमानहै), तथा सर्वोच्च न्यायालय के हितेन्द्र विष्णु ठाकुर मामले (उपर्युक्त) के सिद्धांत की पुनः पुष्टि करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि निरोध की अवधि को चार शर्तों के अधीन विस्तारित किया जा सकता है, अर्थात्:(1) लोक अभियोजक की रिपोर्ट, (2) जो जांच की प्रगति को दर्शाती हो, तथा (3) अभियुक्त के 180 दिनों से अधिक अवधि तक निरोध की मांग के लिए बाध्यकारी कारणों को निर्दिष्ट करती हो, और (4) अभियुक्त को नोटिस दिए जाने के पश्चात्|

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **कमल नारायण बनाम छत्तीसगढ़ राज्य**[3] मामले का अवलम्ब लेते हुए तर्क दिया कि एनडीपीएस अधिनियम के मामले में भी इस न्यायालय ने यही दृष्टिकोण अपनाया है। विद्वान अधिवक्ता ने **सरस्वती**

---

2 (2011) 1 एससीसी (क्रि) 1099 : (2009) 17 एससीसी 631

3 2011 क्रि.एल.जे. 612

राय बनाम भारत संघ (यूनियन ऑफ इंडिया)[4] मामले पर भी निर्भरता व्यक्त की, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया है।

8. 1967 **के अधिनियम की धारा** 43**डी की उपधारा** (2) **निम्नलिखित है**:-

"(2) संहिता की धारा 167 इस अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध से संबंधित मामले में लागू होगी, किंतु इस संशोधन के अधीन कि उपधारा (2) में,-

(1) जहाँ कहीं "पंद्रह दिन", "नब्बे दिन" और "साठ दिन" के उल्लेख हैं, वे क्रमशः "तीस दिन", "नब्बे दिन" और "नब्बे दिन" के रूप में समझे जाएँगे; और (ख) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्:-"परंतुक यह भी कि यदि उक्त नब्बे दिनों की अवधि के भीतर जांच पूर्ण करना संभव न हो, तो न्यायालय, यदि लोक अभियोजक की रिपोर्ट से संतुष्ट हो जाए जिसमें जांच की प्रगति का संकेत हो तथा अभियुक्त के उक्त नब्बे दिनों की अवधि से अधिक निरोध के लिए विशिष्ट कारण बताए गए हों, तो उक्त अवधि को एक सौ अस्सी दिनों तक विस्तारित कर सकता है: परंतुक यह भी कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत जांच करने वाला पुलिस अधिकारी, जांच के प्रयोजनार्थ, न्यायिक निरोध में किसी व्यक्ति को न्यायिक निरोध से पुलिस निरोध में लेने का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

4 2011 क्रि.एल.जे. 3020

अनुरोध करता है, तो वह ऐसा करने का कारण बताते हुए एक शपथ-पत्र दाखिल करेगा तथा पुलिस निरोध माँगने में विलंब हुआ हो तो उस विलंब की भी व्याख्या करेगा।""

9. टीएडीए की धारा 20 की उपधारा (4) के खंड (ख) के परंतुक (ख ख) में निम्नलिखित है:-

"परंतुक यह भी कि, यदि उक्त एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर जांच पूर्ण करना संभव न हो, तो नामित न्यायालय उक्त अवधि को एक वर्ष तक विस्तारित करेगा, लोक अभियोजक की रिपोर्ट के आधार पर जिसमें जांच की प्रगति का संकेत हो तथा अभियुक्त के उक्त एक सौ अस्सी दिनों की अवधि से अधिक निरोध के लिए विशिष्ट कारण बताए गए हों: तथा....."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. **एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36-ए की उपधारा (4) निम्नलिखित है:-**

"(4) धारा 19 या धारा 24 या धारा 27-ए के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में, या वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों के मामले में, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 167 की उपधारा (2) में जहाँ कहीं "नब्बे दिन" का उल्लेख है, उसे "एक सौ अस्सी दिन" के रूप में समझा जाएगा।

परंतुक यह कि, यदि उक्त एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर जांच पूर्ण करना संभव न हो, तो विशेष न्यायालय, लोक अभियोजक की रिपोर्ट के आधार पर जिसमें जांच की प्रगति का संकेत हो तथा अभियुक्त के उक्त एक सौ अस्सी दिनों की अवधि से अधिक निरोध के लिए विशिष्ट कारण बताए गए हों, उक्त अवधि को एक वर्ष तक विस्तारित कर सकता है।

11. 1967 के अधिनियम की धारा 43डी की उपधारा (2) के खंड (ख) के परंतुक के अनुसार, निरोध की अवधि को 90 दिनों से 180 दिनों तक विस्तारित करने के लिए लोक अभियोजक को न्यायालय की संतुष्टि के लिए जांच की प्रगति दर्शाने वाली तथा अभियुक्त के उक्त नब्बे दिनों की अवधि से अधिक निरोध के लिए विशिष्ट कारणों को बताने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करनी आवश्यक थी। टीएडीए में भी धारा 20 की उपधारा (4) के खंड (ख) के परंतुक (ख ख) में समान प्रावधान हैं। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36-ए की उपधारा (4) के परंतुक में भी समान प्रावधान हैं।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. टीएडीए की धारा 20 की उपधारा (4) के खंड (ख) का परंतुक (ख ख) तथा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36-ए की उपधारा (4) का परंतुक, 1967 के अधिनियम की धारा 43डी की उपधारा (2) के खंड (ख) के परंतुक के साथ परिमान हैं।

13. टीएडीए की धारा 20 की उपधारा (4) के खंड (ख) के परंतुक (ख ख) से संबंधित जांच की अवधि तथा अभियुक्त के निरोध के विस्तार के विषय पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने हितेन्द्र विष्णु ठाकुर मामले (उपर्युक्त) में यह माना है कि अभियोजन पक्ष पर अभियुक्त की गिरफ्तारी से 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का दायित्व है तथा यदि अभियोजन पक्ष निर्धारित अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में असमर्थ रहता है, तो अभियुक्त को टीएडीए की धारा 20 (4) के प्रावधानों के अनुसार जमानत पर रिहाई का अविच्छेद्य तथा पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। टीएडीए की धारा 20 की उपधारा (4) के खंड (ख) के परंतुक (ख ख) के अनुसार किसी भी विस्तार के मामले में, अभियोजन पक्ष को निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। जांच एजेंसी को मामले की प्रगति दर्शाते हुए लोक अभियोजक के समक्ष मामला प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद लोक अभियोजक को मामले की प्रगति का परीक्षण करना होगा तथा निर्धारित समय के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में असमर्थता के तथ्य का मूल्यांकन करना होगा। ऐसे परीक्षण के पश्चात्, लोक अभियोजक को न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। अभियुक्त को प्राप्त होने वाले अविच्छेद्य जमानत के अधिकार तथा निर्धारित अवधि के पश्चात् जमानत पर रिहा होने के पूर्ण अधिकार को ध्यान में रखते हुए, लोक अभियोजक की उक्त रिपोर्ट पर आपत्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करने तथा उसका विरोध करने के लिए अभियुक्त को नोटिस देना भी निर्धारित शर्त है।

14. सर्वोच्च न्यायालय ने हितेन्द्र विष्णु ठाकुर मामले (उपर्युक्त) के पैरा 20 में निम्नलिखित अवलोकन किया है:-

"20. .....हमारी राय में, चूंकि अभियुक्त को जांच/अभियोजन एजेंसी की 'चूक' के आधार पर जमानत पर रिहाई के लिए आवेदन करना आवश्यक है, और एक बार ऐसा आवेदन प्रस्तुत हो जाने पर, न्यायालय को लोक अभियोजक को नोटिस जारी करना चाहिए। लोक अभियोजक या तो यह दिखा सकता है कि अभियोजन ने खंड (ख ख) के अंतर्गत जांच पूर्ण करने के लिए न्यायालय से विस्तार का आदेश प्राप्त कर लिया है, या निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले चालान नामित न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है, या यहां तक कि निर्धारित अवधि वास्तव में समाप्त नहीं हुई है, और इस प्रकार 'चूक' के आधार पर जमानत देने का विरोध कर सकता है। नोटिस जारी करने से अभियुक्त द्वारा कुछ तथ्यों को जानबूझकर या अनजाने में छिपाकर 'चूक' खंड के अंतर्गत जमानत का आदेश प्राप्त करने की संभावना समाप्त हो जाती है तथा कार्यवाही की बहुलता भी टल जाती है। अतः न्याय के हित में यह होगा कि अभियोजन की 'चूक' के आधार पर जमानत के आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना जाए। इसी प्रकार, जब लोक अभियोजक द्वारा खंड (ख ख) के अंतर्गत विस्तार प्राप्त करने के लिए नामित न्यायालय

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो ऐसी विस्तार प्रदान करने से पहले अभियुक्त को नोटिस जारी किया जाना चाहिए ताकि अभियुक्त को विस्तार का विरोध करने का अवसर मिले तथा उसके पास उपलब्ध सभी वैध एवं कानूनी आधारों पर विरोध करने का मौका प्राप्त हो। यह सत्य है कि धारा 20 टीएडीए की उपधारा (4) के खंड (ख) या (ख ख) में ऐसी नोटिस जारी करने का स्पष्ट प्रावधान नहीं है, किंतु हमारी राय में अभियुक्त तथा अभियोजन दोनों के हित में तथा पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए ऐसे प्रावधानों में नोटिस जारी करने को अंतःस्थापित पढ़ा जाना आवश्यक है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता है तथा अभियुक्त या लोक अभियोजक को, जैसा भी मामला हो, नोटिस जारी करना निष्पक्ष कार्यवाही के अनुरूप होगा, जिसे न्यायालयों ने सदैव प्रोत्साहित किया है और यहां तक कि आग्रह भी किया है। इससे अभियुक्त की स्वतंत्रता के हित तथा दूसरी ओर समाज के हित (अभियोजन एजेंसी के माध्यम से) के बीच उचित संतुलन स्थापित होगा।अधिनियम की योजना में अभियुक्त या लोक अभियोजक को ऐसी नोटिस जारी करने पर कोई प्रतिषेध नहीं है तथा किसी भी पक्ष को इससे कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, हमें दोहराना होगा कि अभियोजन द्वारा जांच पूर्ण करने तथा निर्धारित अधिकतम अवधि के भीतर चालान दाखिल करने में 'चूक' के आधार पर अभियुक्त को जमानत देने का विरोध केवल उन मामलों तक सीमित होना चाहिए जहां 'चूक' खंड को लागू करने का वास्तविक आधार उपलब्ध नहीं है या खंड (ख ख) के अंतर्गत जांच पूर्ण करने की अवधि विस्तारित की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गई है इत्यादि। उस चरण पर मामले की गंभीरता, अपराध की गंभीरता या अपराधी का चरित्र आदि जैसी कोई अन्य शर्त न्यायालय के लिए जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं बन सकती, जब यह टीएडीए की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत अभियोजन की 'चूक' के आधार पर जमानत का मामला हो।"

सर्वोच्च न्यायालय ने आगे पैरा 22 में निम्नलिखित अवलोकन किया है:-

"22. हम इस अवसर पर धारा 20 की उपधारा (4) के खंड (ख ख) की सादे अर्थ में व्याख्या करते हुए यह भी इंगित करना चाहते हैं कि विधायिका ने जांच पूर्ण करने के लिए समय विस्तार प्राप्त करने हेतु लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर ही यह प्रावधान किया है। विधायिका ने जानबूझकर यह नहीं छोड़ा कि जांच अधिकारी स्वयं न्यायालय से समय विस्तार के लिए आवेदन करे। यह प्रावधान विधायी अभिप्राय के अनुरूप है कि जांच शीघ्रता से पूर्ण की जाए तथा पुलिस की मनमानी पर अभियुक्त को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक निरोध में न रखा जाए। विधायिका अपेक्षा करती है कि जांच अत्यधिक शीघ्रता से पूर्ण की जाए, किंतु जहां जांच पूर्ण करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय आवश्यक हो जाए, तो जांच एजेंसी को सबसे पहले लोक अभियोजक की जांच के अधीन प्रस्तुत होना होगा तथा उसे जांच की प्रगति तथा अभियुक्त की आगे निरोध की आवश्यकता के कारणों से संतुष्ट करना होगा। लोक अभियोजक राज्य सरकार का महत्वपूर्ण अधिकारी है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत राज्य द्वारा नियुक्त किया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जाता है। वह जांच एजेंसी का हिस्सा नहीं है। वह एक स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकारी है। लोक अभियोजक से अपेक्षा की जाती है कि वह जांच एजेंसी के अनुरोध पर स्वतंत्र रूप से अपना मन लगाकर न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले जांच की प्रगति का मूल्यांकन करे तथा जांच पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता पर विचार करे। वह मात्र डाकघर या अग्रेषण एजेंसी नहीं है। लोक अभियोजक जांच अधिकारी द्वारा दिए गए कारणों से सहमत हो भी सकता है और नहीं भी; वह पा सकता है कि जांच उचित ढंग से आगे नहीं बढ़ी है या जांच पूर्ण करने में अनावश्यक, जानबूझकर या टालने योग्य विलंब हुआ है। ऐसे मामले में वह खंड (ख ख) के अंतर्गत न्यायालय को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकता। इस प्रकार, खंड (ख ख) के अंतर्गत समय विस्तार प्राप्त करने के लिए लोक अभियोजक को जांच एजेंसी के अनुरोध पर स्वतंत्र रूप से अपना मन लगाकर नामित न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें जांच की प्रगति का उल्लेख हो तथा अभियुक्त को आगे निरोध में रखने का औचित्य प्रकट हो ताकि जांच एजेंसी जांच पूर्ण कर सके। लोक अभियोजक जांच अधिकारी के अनुरोध या आवेदन को अपनी रिपोर्ट के साथ संलग्न कर सकता है, किंतु खंड (ख ख) के अंतर्गत उसकी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह प्रकट होना चाहिए कि उसने अपना मन लगाया है तथा जांच की प्रगति से संतुष्ट है तथा जांच पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त समय आवश्यक समझता है। खंड (ख ख) में प्रयुक्त पद “लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर जिसमें जांच की प्रगति का संकेत हो तथा अभियुक्त के उक्त अवधि से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिक निरोध के लिए विशिष्ट कारण बताए गए हों" महत्वपूर्ण हैं तथा विधायी अभिप्राय को दर्शाते हैं कि अभियुक्त को अनुचित रूप से निरोध में न रखा जाए तथा विस्तार केवल लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर ही दिया जाए।इसलिए लोक अभियोजक की रिपोर्ट मात्र औपचारिकता नहीं है, बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, क्योंकि इसके स्वीकृत होने के परिणामस्वरूप अभियुक्त की स्वतंत्रता प्रभावित होती है तथा इसे खंड (ख ख) की आवश्यकताओं का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। जांच अधिकारी द्वारा समय विस्तार का अनुरोध लोक अभियोजक की रिपोर्ट का विकल्प नहीं हो सकता। जहाँ खंड (ख ख) के अनुसार कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती या लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट नामित न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की जाती, चूंकि खंड (ख ख) के अंतर्गत समय विस्तार न तो औपचारिकता है और न ही स्वतः होता है, तो इसका आवश्यक परिणाम यह होगा कि अभियुक्त को जमानत मांगने का हक होगा तथा न्यायालय 'करेगा' उसे जमानत पर रिहा करेगा यदि वह नामित न्यायालय द्वारा आवश्यक जमानत प्रस्तुत कर दे। यह मात्र खंड (ख ख) के अंतर्गत विस्तार के अनुरोध के रूप का प्रश्न नहीं है, बल्कि सार का प्रश्न है। लोक अभियोजक द्वारा उचित रूप से अपना मन लगाकर प्रस्तुत रिपोर्ट का उद्देश्य नामित न्यायालय को स्वतंत्र रूप से यह निर्णय करने में सहायता करना है कि दिए गए मामले में विस्तार दिया जाना चाहिए या नहीं।नियुक्त न्यायालय को विस्तार प्रदान करने के परिणामों को ध्यान में रखते हुए अर्थात् अभियुक्त को आगे निरोध में रखना, लोक अभियोजक की रिपोर्ट से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विस्तार के औचित्य से संतुष्ट होना आवश्यक है ताकि जांच पूर्ण करने के लिए समय विस्तार दिया जा सके। जहां नामित न्यायालय ऐसा विस्तार देने से इनकार करता है, तो अभियोजन की 'चूक' के आधार पर जमानत पर रिहाई का अधिकार अविच्छेद्य हो जाता है तथा इसे इस निर्णय के पूर्व भाग में चर्चित धारा 20 की उपधारा (4) द्वारा परिकल्पित कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से पराजित नहीं किया जा सकता। हम श्री माधव रेड्डी या अतिरिक्त महान्यायवादी श्री तुलसी के इस तर्क से सहमत नहीं हो सकते कि यदि लोक अभियोजक जांच अधिकारी के अनुरोध को न्यायालय के समक्ष 'प्रस्तुत' करता है या जांच अधिकारी के अनुरोध को न्यायालय को 'अग्रेषित' करता है, तो इसे लोक अभियोजक की रिपोर्ट माना जाए। नागरिक की स्वतंत्रता से संबंधित मामले में ऐसी व्याख्या के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। न्यायालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे उसकी स्वतंत्रता की रक्षा उत्साहपूर्वक करें। खंड (ख ख) को उसके सादे शब्दों में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए बिना किसी पद का कोई संयोजन या प्रतिस्थापन किए। हमने पहले ही लोक अभियोजक की रिपोर्ट के महत्व पर विचार किया है तथा जोर दिया है कि वह जांच एजेंसी का 'डाकघर' या 'अग्रेषण एजेंसी' नहीं है बल्कि वैधानिक कर्तव्य से भारित है। उसे मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर अपना मन लगाना आवश्यक है तथा उसकी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह प्रकट होना चाहिए कि उसने धारा 20 की उपधारा (4) के खंड (ख ख) में निहित दोहरी शर्तों पर अपना मन लगाया है। चूंकि कानून उसे धारा द्वारा परिकल्पित रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है, अतः उसे धारा द्वारा प्रदत्त तरीके से ही कार्य करना होगा तथा किसी अन्य तरीके से नहीं। नामित न्यायालय जो वैध रिपोर्ट की आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है या अनदेखा करता है, वह अपने आवश्यक कर्तव्यों में चूक करता है तथा खंड (ख ख) के अंतर्गत अपना आदेश कमजोर बनाता है। लोक अभियोजक अपनी रिपोर्ट को रिपोर्ट या विस्तार के लिए आवेदन के रूप में नामांकित करे, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह प्रकट हो कि उसने अपना मन लगाया है तथा जांच की प्रगति से संतुष्ट है तथा विस्तार प्रदान करने के कारणों की सत्यता से संतुष्ट है जैसा कि खंड (ख ख) द्वारा परिकल्पित है। लोक अभियोजक द्वारा जांच अधिकारी के आवेदन या अनुरोध का मात्र पुनरुत्पादन अपनी रिपोर्ट में, बिना अपना मन लगाने का प्रदर्शन किए तथा अपनी संतुष्टि दर्ज किए, उसे खंड (ख ख) द्वारा परिकल्पित रिपोर्ट नहीं बनाता तथा समय विस्तार के लिए उचित रिपोर्ट नहीं होगी। उचित रिपोर्ट के अभाव में नामित न्यायालय के पास अभियुक्त के अविच्छेद्य अधिकार को जमानत पर रिहा करने से इनकार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा यदि अभियुक्त न्यायालय द्वारा निर्देशित जमानत बांड प्रस्तुत करने को तैयार है तथा मांग करता है, अभियोजन द्वारा निर्धारित समय के भीतर चालान दाखिल न करने की चूक के आधार पर। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त को निर्धारित अवधि से अधिक निरोध में रखने के लिए कोई विस्तार नहीं दिया जा सकता सिवाय जांच पूर्ण करने के उद्देश्य से तथा जैसा पहले कहा गया है खंड (ख ख) के अंतर्गत कोई भी विस्तार प्रदान करने से पहले अभियुक्त को नोटिस दिया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जाना चाहिए तथा उसे अपनी बात रखने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वह विस्तार प्रदान करने का विरोध कर सके।

15. उसी प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने संजय कुमार के मामले (उपर्युक्त) में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36-ए की उपधारा (4) के परंतुक के संदर्भ में, हितेन्द्र विष्णु ठाकुर मामले (उपर्युक्त) के सिद्धांत पर निर्भरता व्यक्त करते हुए यह माना है कि लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर अवधि विस्तार के विचार के समय न्यायालयों को चार शर्तों पर विचार करना आवश्यक है तथा पैरा 12 में निम्नलिखित अवलोकन किया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"12. संहिता की धारा 167 (2) के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम 90 दिनों की अवधि इस अधिनियम के अंतर्गत कई श्रेणियों के अपराधों के लिए 180 दिनों तक बढ़ा दी गई है, किंतु परंतुक द्वारा निरोध की अवधि को और आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई है जो कुल मिलाकर एक वर्ष तक जा सकती है, बशर्ते कि उसमें प्रदत्त कठोर शर्तें पूरी हों तथा उनका अनुपालन किया जाए। प्रदत्त शर्तें निम्नलिखित हैं:

(1) लोक अभियोजक की रिपोर्ट,

(2) जो जांच की प्रगति को दर्शाती हो, तथा

(3) अभियुक्त के 180 दिनों की अवधि से अधिक निरोध की मांग के लिए बाध्यकारी कारणों को निर्दिष्ट करती हो, तथा

(4) अभियुक्त को नोटिस दिए जाने के पश्चात्।"

16. इस न्यायालय ने कमल नारायण मामले (उपर्युक्त) में तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सरस्वती राय मामले (उपर्युक्त) में भी सर्वोच्च न्यायालय के हितेन्द्र विष्णु ठाकुर मामले (उपर्युक्त) के सिद्धांत के प्रकाश में यही दृष्टिकोण अपनाया है।

17. उपरोक्त विधि के प्रतिपादन के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि 1967 के अधिनियम की धारा 43डी की उपधारा (2) के खंड (ख) के अंतर्गत समय विस्तार मात्र औपचारिकता नहीं है, तथा लोक अभियोजक भी डाकघर नहीं है। निर्धारित अवधि के पश्चात् अभियुक्त को 1967 के अधिनियम की धारा 43डी की उपधारा (2) के खंड (**a**) के अनुसार जमानत पर रिहा होने का अविच्छेद्य तथा पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। 1967 के अधिनियम की धारा 43डी की उपधारा (2) के खंड (ख) के अंतर्गत समय विस्तार का दावा करने के लिए अभियोजन एजेंसी को लोक अभियोजक के समक्ष सामग्री प्रस्तुत करनी आवश्यक है ताकि लोक अभियोजक उस सामग्री का परीक्षण करके समय विस्तार के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके, तथा यह रिपोर्ट भी 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर अच्छी तरह प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो अभियुक्त को अविच्छेद्य तथा पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाए, तथा अभियोजन एजेंसी या लोक अभियोजक के बाद के किसी भी कार्य द्वारा इस अधिकार को वापस नहीं लिया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित अक्षेपित आदेश तथा सत्र न्यायाधीश के आदेश की मात्र सरसरी जांच से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 9-9-2011 को गिरफ्तार किया गया था तथा मामला चार्जशीट दाखिल करने के लिए दंतेवाड़ा के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दिनांक 12-12-2011 को नियत किया गया था। दिनांक 9-12-2011 को याचिकाकर्ता की ओर से संहिता की धारा 167 (1) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 57 तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा मामला डायरी तथा उसी दिन उत्तर पर आगे सुनवाई के लिए दिनांक 12-12-2011 को स्थगित कर दिया गया। बाद में, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), किरंदुल ने 1967 के अधिनियम की धारा 43डी के अंतर्गत जांच के लिए समय विस्तार का आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन में उल्लिखित आधारों पर विचार करने के पश्चात्, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अवधि को 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिनों तक विस्तारित कर दिया। दिनांक 10-12-2011 को याचिकाकर्ता की ओर से संहिता की धारा 167 (2) के अंतर्गत जमानत के लिए एक अन्य आवेदन प्रस्तुत किया गया, इस आधार पर कि 90 दिनों की अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। उक्त आवेदन को न्यायालय ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि दिनांक 9-12-2011 के आदेश द्वारा चार्जशीट दाखिल करने की अवधि पहले ही 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिनों तक विस्तारित कर दी गई है। दिनांक 9-12-2011 को पारित आदेश के बाद के भाग से यह प्रकट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस),

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किरंदुल, संभवतः जांच अधिकारी, ने 1967 के अधिनियम की धारा 43डी के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था। संलग्नक पी-4, दिनांक 9-12-2011 का आवेदन, आगे यह दर्शाता है कि अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) ने ऐसा आवेदन दंतेवाड़ा के जिला लोक अभियोजक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी प्रस्तुत किया था।

19. 1967 के अधिनियम की धारा 43डी के अंतर्गत दायर आवेदन से स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि जांच अधिकारी ने निर्धारित अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में असमर्थता के आधार पर समय विस्तार की प्रार्थना की है। इसमें यह कहीं भी प्रतिबिंबित नहीं होता कि लोक अभियोजक ने मामले का परीक्षण किया है, जांच एजेंसी द्वारा दावा किए गए ऐसे विस्तार के आधारों का मूल्यांकन किया है, या उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर अपना मन लगाया है। लोक अभियोजक ने समय विस्तार के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, यहां तक कि विस्तार के समय वह उक्त आवेदन का अभियोजन करने के लिए उपस्थित भी नहीं था। अभियुक्त न तो उपस्थित था और न ही उसे कोई नोटिस दिया गया था। आदेश अभियुक्त की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, तथा लोक अभियोजक भी केवल जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर ही था। उक्त आदेश, लोक अभियोजक की अनुपस्थिति तथा अभियुक्त को नोटिस न दिए जाने के कारण, 1967 के अधिनियम की धारा 43डी की उपधारा (2) के खंड (ख)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के परंतुक के अनुरूप नहीं है तथा सर्वोच्च न्यायालय के हितेन्द्र विष्णु ठाकुर मामले (उपर्युक्त) के सिद्धांतों के भी विपरीत है।

20. दिनांक 9-12-2011 का आदेश सत्र न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दिया गया था तथा अक्षेपित आदेश द्वारा सत्र न्यायाधीश ने जमानत आवेदन के साथ-साथ पुनरीक्षण याचिका को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि अवधि पहले ही विस्तारित कर दी गई है। ऐसा आदेश पारित करने के समय सत्र न्यायाधीश के पास जमानत आवेदन पर विचार करने का क्षेत्राधिकार था तथा संहिता की धारा 399 के अंतर्गत संशोधन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 9-12-2011 को पारित आदेश की वैधता एवं औचित्यता की जांच करने का भी क्षेत्राधिकार था। तथापि, सत्र न्यायाधीश ने 1967 के अधिनियम की धारा 43डी की उपधारा (2) के खंड (ख) की अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन न होने पर विचार नहीं किया तथा इस प्रकार अवैधता करित की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. वर्तमान मामले में, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिनांक 9-12-2011 के आदेश के बाद के भाग में आदेश पारित करते समय 1967 के अधिनियम की धारा 43डी की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुरूप कार्य नहीं किया है। सत्र न्यायाधीश ने भी ऐसे आदेश को सुधारने के लिए अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग नहीं किया, जो 1967 के

अधिनियम की धारा 43डी की उपधारा (2) के खंड (ख) का उल्लंघन करके पारित किया गया था, तथा इस प्रकार गंभीर अवैधता की गई है।

22. उपरोक्त कारणों से, याचिका स्वीकार की जाती है। सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 12-12-2011 को पारित अक्षेपित आदेश तथा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 9-12-2011 के आदेश के बाद के भाग को एतत्द्वारा अभिखंडित किया जाता है। निरोध की अवधि को 90 दिनों से 180 दिनों तक विस्तारित करने से संबंधित दोनों आदेश भी एतत्द्वारा अभिखंडित किए जाते हैं। परिणामस्वरूप, सत्र न्यायाधीश तथा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा 167 (2) के अंतर्गत जमानत आवेदन को अस्वीकार करने वाले आदेश भी एतत्द्वारा अभिखंडित किए जाते हैं। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनांक 10-12-2011 को संहिता की धारा 167 (2) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर पक्षकारों को सुनवाई करेगा तथा विधि के अनुसार नया आदेश पारित करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

हस्ताक्षर/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By: ईशा तिवारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur